मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 18-5-2022

क्रमांक/एफ 19-07/2022/10-2 : राज्य शासन एतदद्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 76 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर संरक्षित क्षेत्रों (अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/टाइगर रिजर्व) में पदस्थ सहायक वन संरक्षक/अधीक्षक/सहायक संचालक को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के अंतर्गत उल्लेखित राजसात कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा क्षेत्र संचालक/संचालक को अपीलीय अधिकारी के रूप में उनके प्रभार क्षेत्र में अधिकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

18/5/22

(पदमाप्रिया बालाकृष्णन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 19-07/2022/10-2 भोपाल, दिनांक 18-5-.2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अशासकीय टीप क्रमांक-229, दिनांक 24.03.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. समस्त क्षेत्र संचालक/संचालक, मध्यप्रदेश।
4. समस्त, सहायक वन संरक्षक/अधीक्षक/ सहायक संचालक (अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान/टाइगर रिजर्व), मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

18/5/22

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग